न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.- 90/2014

उनवान

1 मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
2 गिरधर सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत ना.बा. जरिये संरक्षक भाई मदन सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
3 नन्द सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
4 गोपाल सिंह पिता फतह सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
5 रामसिंह पिता फतह सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
6 मोती सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा
7 घीसू सिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज.)

–वादीगण

बनाम

1 प्रेमसिंह उर्फ देवी सिंह पिता अर्जुन सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज.)
2 गुलाब कंवर बेवा अर्जुन सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का खेडा,
3 जगदीश पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा
4 शिव पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा
5 मिन्टू पिता मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा
6 शान्ति बेवा मोहन खाती निवासी नंगाजी का खेडा
7 भॅवर पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा
8 गोपाल पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा
9 सुखदेव पिता बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा
10 लहरी बेवा बीरम चमार निवासी नंगाजी का खेडा
11 गोपाल पिता अर्जुन गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा
12 सुखदेव पिता उगमा गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा
13 हीरा पिता उगमा गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज.)
14 उगमी बेवा उगमा गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा
15 सांवता पिता धूला जाट निवासी नंगाजी का खेडा
16 नन्दा पिता औनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा
17 शिव पिता ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा
18 घासी पिता ओनाड जाट निवासी नंगाजी का खेडा
19 निम्बा पिता देबी गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा
20 हरकू बेवा देबी गुर्जर निवासी नंगाजी का खेडा
21 लालाराम पिता छीतर भील निवासी नंगाजी का खेडा
22 मिट्ठू पिता मिश्री खाती निवासी नंगाजी का खेडा
23 सोहनी बेवा मिश्री खाती निवासी नंगाजी का खेडा
24 सुमित इनाणी पिता एस.एन. ईनाणी निवासी भारत कोम्पलेक्स, भीलवाडा , (राज.)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जिला भीलवाड़ा (राज.)

26 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा तहसील कार्यालय हुरडा

27 उपपंजीयक तहसील कार्यालय हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री युगलकिशोर व्यास वकील वादीगण

श्री विश्वद्वीप सिंह वकील प्रतिवादीगण

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी बसिलसिले वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 14.01.2019

1– प्रार्थी/वादी संख्या– 1 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी संख्या– 6 मोती सिंह पिता गुलाबसिंह निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की मृत्यु दिनांक 08.04.2013 को हो चूकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन 15.04.2013 को हो चूका है।

2– उपरोक्त मृतक वादी संख्या– 06 मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह निवासी नंगाजी का खेडा की मृत्यु दिनांक 08.04.2013 को हो चुकी है, जिसकी जानकारी अन्य वादीगण को भलीभॉति थी लेकिन अन्य वादीगण ने उक्त वादपत्र में वादी संख्या– 06 के अगुठा निशानी गलत एवं फर्जी तरीके से दर्शा कर उक्त वादपत्र पेंश किया गया है जो विधि विरुध होकर नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर विधि विरुद्ध है, जिससे उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारीज के है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

3– मृतक संख्या– 6 की मृत्यु वादपत्र पेंश करने से पूर्व हो जाने के बाद भी गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुये कपटपूर्ण तरीके से मृतक की अगुठा निशानी लगाकर अन्य वादीगण द्वारा वादपत्र पेंश किया गया है जो विधि विरुध होने से उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र खारीज के है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

4– अन्त में अंकित किया गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

Scanned by CamScanner

5– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी / वादी को दिलायी जाने पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर बहस किया जाना जाहिर करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई।

6– वक्त बहस वकील प्रार्थी / प्रतिवादी का कथन था कि वादी संख्या– 6 मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह निवासी नंगाजी का खेडा की मृत्यु दिनांक 08.04.2013 को हो जाने के उपरान्त भी वादीगणों के द्वारा उसकी गलत एवं फर्जी तरीके से अगुँठा निशानी लगाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

7– जबकि वकील अप्रार्थी / वादी का कथन था कि वादी संख्या– 6 मोतीसिंह जब जीवित था, तब उनके द्वारा मुझे दावा पेश करने हेतु मुझे अधिवक्ता नियुक्त कर वकालत नामा पर अगुँठा निशानी लगायी थी, किन्तु उक्त दावा तैयार करने व न्यायालय में पेश करने हेतु समय लग जाने से उक्त वाद पत्र उक्त वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसमें अन्य वादीगण व मुझे अधिवक्ता के द्वारा कोई फर्जी एवं कूटरचित कृत्य नही किया गया है । अन्त में कथन किया कि उक्त वाद में वादीगणों के हक अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में वादी संख्या– 6 के हत तक दावा खारिज फरमाया जावें ।

8– मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है–

9– वादीगणों के द्वारा उक्त वाद पत्र दिनांक 10.03.2014 को प्रस्तुत किया जाना तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये मार्क से प्रकट हुआ है। जबकि प्रार्थी / प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के अनुसार वादी संख्या– 6 मोतीसिंह की मृत्यु 08.04.2013 को होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के द्वारा मोतीसिंह की मृत्यु के उपरान्त भी उनकी और से कूटरचित तरीके से न्यायालय को गुमराह कर यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। वक्त बहस वकील अप्रार्थी / वादी के द्वारा यह कथन किया गया था कि मोतीसिंह के द्वारा उन्हें वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया था, किन्तु अपने कथनो की पृष्टि में उनके द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई। चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध मोतीसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दावा प्रस्तुतिकरण दिनांक 10.03.2014 को मोतीसिंह जीवित नही था उसके उपरान्त भी अन्य वादीगण जो कि मृतक मोतीसिंह के नजदीकी रिश्तेदार है उन्हें मोतीसिंह की मृत्यु की भलीभाँति जानकारी होते हुये भी उनके द्वारा उक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है तथा विधि से वर्जित भी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 ज़ाब्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर वाद संख्या– 90/2014 को खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार कैफल होकर दाखिल दफ्तर की। आदेश आज दिनांक 14.01.2019 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner